जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा

44, सावरकर पथ
सिटी कोतवाली के सामने
विदिशा–464001
फोन–07592–236038

कान्करेंट आडिट कार्य हेतु विज्ञप्ति

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा के प्रधान कार्यालय एवं इससे संबंद्ध 21 शाखाओं का कान्करेंट आड़िट पंजीकृत सनदी लेखाकार (सीसा/डीसा प्रमाण पत्र धारी) से कराये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित करती है। इच्छुक फर्म अपने बायोडाटा, अनुभव एवं अन्य बैंकों में किये जा रहे आडिट संबंधी जानकारी के साथ अपने प्रस्ताव में प्रति शाखा अंकेक्षण राशि का उल्लेख करते हुए बंद निविदायें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, 44, सावरकर पथ विदिशा को **दिनांक 30.06.2017 को समय अपरान्ह 3.00 बजे** तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम से प्रस्तुत की जा सकती है। अंकेक्षण हेतु प्रति शाखा प्रतिवर्ष राशि ₹ 18000.00 का प्रस्ताव बैंक द्वारा दिया जाता है। निविदा के साथ ₹ 10000.00 का डिमांड ड्राफ्ट जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा के पक्ष में विदिशा पर भुगतान योग्य निविदा के साथ संलग्न करे। आवेदन में फर्म में उपलब्ध सनदी लेखाकार एवं अन्य स्टाफ का विस्तृत विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाये।

किसी भी निविदा को स्वीकृत करना न करना बैंक के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। **दिनांक 30.06.2017. को अपरान्ह 3.00 बजे** के पश्चात निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी। बैंक/शाखाओं के अंकेक्षण कार्य से संबंधित जानकारी एवं अन्य शर्ते कार्यालयीन समय में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, प्रधान कार्यालय विदिशा से प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक–15.06.2017

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
विदिशा

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा

ई मेल – **cbsvidisha.mp@gmail.com**

बैंक व शाखाओ के सतत/वैधानिक अंकेक्षण हेतु संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म के चयन हेतु शर्ते

1. फर्म में न्यूनतम 2 फुल टाइम एफ.सी.ए. पार्टनर के साथ-साथ 5 एफ.सी.ए. अथवा ए.सी.ए. पार्टनर होना अनिवार्य हैं। अधिक एफ.सी.ए. पार्टनर होने पर प्राथमिकता दी जावेगी।

2. फर्म के स्टाफ में न्यूनतम पार्टनर अथवा फुल टाइम सी.ए. के साथ 5 कर्मचारी एवं 7 आर्टिकल होना अनिवार्य हैं। इसके उपरांत स्टाफ की संख्या में वृद्धि होने पर प्राथमिकता दी जावेगी।

3. व्यवसायिक या सहकारी अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंकेक्षण का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य हैं। 3 वर्ष के अतिरिक्त अनुभव वाली फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।

4. फर्म में कार्यरत सनदी लेखाकार के पास सीसा/डीसा प्रमाणपत्र होना अनिवार्य हैं। फर्ममें कार्यरत दो पार्टनर के अतिरिक्त यदि अन्य पार्टनर के पास भी सीसा/डीसा प्रमाणपत्र है तो उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

5. अंकेक्षण वर्ष के प्रारंभ की तिथि पर सनदी लेखाकार का आई.सी.ए.आई. में पंजीयन 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक होने पर एवं फर्म के पार्टनरशिप फर्म के रूप में आई.सी.ए. आई. में पंजीयन 10 वर्ष से अधिक होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जावेगी।

6. फर्म का मुख्यालय बैंक के मुख्यालय में स्थित होने या बैंक के मुख्यालय के जिले में होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जावेगी।

7. सहकारी प्रबंध संस्थान से सहकारी अंकेक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर या विभाग अथवा नाबार्ड सहकारी बैंको के अंकेक्षण हेतु आयोजित कार्यशाला में भाग लेने पर एवं फोरेन्सिक आडिट का अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जावेगी।

8. सनदी लेखापाल फर्म / भारतीय रिजर्व बैंक कंपनी पंजीयक की पैनल में होना आवश्यक हैं।

9. अंकेक्षको के चयन के लिये समाचार पत्रो में विज्ञापन प्रसारित कर प्राप्त आवेदनो एवं पंजीयक कार्यालय द्वारा जारी चार्टड एकाउंटेंट के पेनल से चयन किया जावेगा।

10. अंकेक्षक को शाखाओ का आबंटन व नियुक्ति का अधिकार बैंक का होगा। समवर्ती लेखांकन हेतु आबंटन प्रथमतः एक वर्ष के लिये किया जायेगा।

अथवा

संतोषजनक कार्य के आधार पर अधिकतम 2 वर्ष के लिये वृद्दि की जा सकेगी।

11. किसी सनदी लेखाकार फर्म को बैंक की अधिकतम 05 शाखाओ का समवर्ती अंकेक्षण कार्य आबंटित किया जा सकेगा।

12. बैंक को आवंटित शाखाओं को आबंटन के उपरांत बदलने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. समवर्ती लेखा परीक्षा फर्म को दिया गया संपरीक्षण का कार्य उनके द्वारा किसी अन्य फर्म को इनके द्वारा नहीं दिया जा सकेगा ।

14. आवेदक को कंपनी अधिनियम की धारा 226 के अन्तर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।

15. समवर्ती लेखा परीक्षा फर्म के किसी साझेदार/निर्देशक द्वारा बैंक/बैंक की शाखाओं का सांविधिक अंकेक्षण, सतत् अंकेक्षण स्थायी संपत्ति के मूल्यांकक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये ।

16. फर्म को सहकारी बैंक/बैंकों के आंतरिक/सांविधिक अंकेक्षण का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है ।

17. ऐसी फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी, जिनका कार्यालय बैंक कार्यक्षेत्र में स्थित है।

18. यदि फर्म किसी पार्टनर/प्रोप्राइटर के बैंक के किसी कर्मचारी/पदाधिकारी /संचालक से पारिवारिक संबंध होने की दशा में उसका आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा ।

19. बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति बैंक के संचालक मंडल द्वारा की जावेगी।

20. बैंक द्वारा परीक्षक की नियुक्ति के उपरांत परीक्षक द्वारा अभिस्वीकृति पत्र निर्धारित प्रारूप में बैंक को देना होगा ।

21. अंकेक्षक फर्म को बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में तथा बैंक द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा । अंकेक्षक को सभी आवश्यक रिपोर्ट सत्यापित करना होगी ।

22. एन.पी.ए. प्रावधान, बीमा, लाभ-हानि खाते एवं विभिन्न टेक्स से संबंधित सलाह बैंक को देना होगी ।